न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

इस्तगासा प्रार्थना पत्र सख्या 46/2022

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 12/2023

सरकार, जरिए हेमन्त कुमार आर्य, प्रवर्तन अधिकारी,अजमेर (अजमेर)
........प्रार्थी

बनाम

श्री शौकत अली पुत्र श्री मोहम्मद इस्माईल, उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम तबीजी, सराधना, जिला अजमेर
...........अप्रार्थीगण

उपस्थितः–
1.श्री मनीष कुमार छीपा अभि0 अप्रार्थी (प्रार्थी)
2. पेरोकार सरकार।

प्रा0 पत्र अन्तर्गत वास्ते जब्त शुदा वाहन टेम्पो संख्या आर जे. 19 जीबी 2978 को सुपुर्दगी नामे पर छोड़ने बाबत

आदेश

दिनांक–28.03.2023

प्रार्थी शौकत अली पुत्र श्री मोहम्मद इस्माईल एम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम तबीजी सराधना जिला अजमेर की ओर से उनकें अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत/दर्ज प्रा0 पत्र जब्तशुदा वाहन टेम्पो संख्या आर.जे. 19 जी.बी. 2978 को सुपुर्दगीनामें पर छोडे जाने पर सुने जाने के निवेदन पर उन्हे सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण में जब्त उक्त वाहन टेम्पो संख्या आर.जे. 19 जी. बी. 2978 का प्रार्थी शोकत अली रजिस्टर्ड/पंजीकृत स्वामी है, जिसे दिनांक 14.09.2022 जिसमें जाचं दौरान रसद विभाग द्वारा धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत झूठा मुकदमा बनाकर वाहन टेम्पो संख्या आर.जे. 19 जी.बी. 2978 जब्त किया है। वाहन प्रार्थी की आजीविका का साधन है, व लोन पर लिया हुआ है, इसके रिहा नहीं होने से प्रार्थी एवं उसके परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जावेगी। वाहन व घर नीलाम हो जावेगा। वाहन के थाने पर उचित देखभाल व सार संभाल के अभाव में खराब होने की संभावना हैं, रसद विभाग को उक्त वाहन की अन्वेषण में आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगीनामे पर छुडवाने के लिए न्यायालय के आदेशानसार संतोषजनक जमानत एवं सुपुर्दगीनामा देने के लिए तैयार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त वाहन को सुर्पुदगीनामें पर छोडने के आदेश प्रदान करावें।

जवाब मे पेरोकार सरकार ने कथन किया कि दिंनाक 14.09.2022 को जांच की गई। मौके पर उचित मूलय दुकानदार महेन्द्र कुमार गैना उपस्थित मिला । मौके पर उक्त दिनांक को पोस मीशन पर स्टॉक की जांच की जिसमें चावल 189.12 किग्रा, चना

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

801.00 किग्रा, गेहूँ 189.12 किग्रा, गेहू एन.एफ.एस.ए 4296.30 किग्रा, बीपीएल/एसबी/ए.ए.वाई 6219.80 किग्रा तथा शक्कर 100.50 किग्रा, दर्ज मिला जिसमें चावल 189.12 किग्रा, चना 801.00 किग्रा, गेहू 189.12 किग्रा आगनबाडी केन्द तबीजी को दिया हुआ बताया । शेष गेहूँ 4296.30 किग्रा तथा बीपीएल/एसबी/एएवाई 6219.80 किग्रा कुल गेहूँ मात्रा 10516.1 किग्रा का भौतिक सत्यापन करने पर उक्त मात्रा सही मिला । ट्रक चालान रसीद पर हस्ताक्षर परिवहनकर्ता व ड्राईवर तथा ह0 विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं है। मौके पर उपस्थित ग्रामीण राजेश गैना, नरेन्द्र जाखड तथा सलीम ने बताया कि दिनांक 13.09.2022 की रात करीब 10.30 पर एफपीएस कोड 2332 महेन्द्र गैना की दुकान से लोडिग टेम्पू आर.जे. 19 जीबी. 2978 में गेहू भरकर निकाला जिसे हटूण्डी तबीजी सडक मार्ग पर रोका गया फिर उन्होने टेम्पू चालक आसिफ अली पुत्र इस्माइल निवासी तबीजी से पूछताछ की जिसमें टेम्पू चालक आसिफ अली ने बताया कि टेम्पू में भरे हुए गेहू राशन (पीडीएस) के है और तबीजी से लाना बताया टैम्पू में गेहूँ से भरी एम.सी.आई पार्क सिलाई वाली 27 गेहू के कट्टे मिले जो कि औस 50 किग्रा गेहू मात्रा का है उपस्थित ग्रामीणो के समक्ष टैम्पू चालक गलती स्वीकार की जिस पर मागंलियावास थाने को सूचित किया गया साथ ही जिला रसद अधिकारी को भी सूचित किया गया । उपस्थित ग्रामीणो के समक्ष टेम्पू चालक आसिफ अली के बारे में पूछताछ करने पर कोई जानकारी नही मिल पाई। । उक्त 27 गेहूँ के कट्टो के बारे में राशन डीलर महेन्द्र गैना से पूछने पर उसने स्वीकार किया कि 12 गेहूँ के कट्टे उसके है जिसको उसने टैम्पू चालक आसिफ को बेच दिए है। थानाधिकारी थाना पुलिस थाना मागंलियावास के पत्र दिनांक 14.9.2022 के पत्र में डिटेन व सुरक्षार्थ वाहन बंद बॉडी लोडिग टैम्पू मय गेहू सबंधी रोजनामचा विवरण यथा इत्तला मिली है कि ग्राम तबीजी में काफी व्यक्ति इक्कट्टे हो रखे है एक लोडिग टेम्पू जिसके नम्बर आर.जे 19 जी.बी. 2978 को रूकवा रखा है । टैम्पू में गेहूँ के कट्टे भरे हुए है आदि दत्तला पर पुलिस चौकी सराधना से लेकर हटूण्डी रोड तबीजी से आगे पहुँचे तो वहा पर उप सरपंच शोभाग गैना व अन्य ग्रामवासी इक्कट्टे हो रखे थे व मौके पर एक बंद बॉडी लोडिग टेम्पू जिसके नम्बर आर.जे. 19 जीबी 2978 सडक पर खडा था जिसका मैन सीसा सामने का टूटा हुआ था के टेम्पू के अन्दर करीबन 10–12 गेहूँ के जूट के कट्टे पडे थे व करीब 12–13 कट्टे सडक पर गेहू के पडे थे व ग्रामवासियो से पूछा तो बताया कि उक्त टेम्पू तबीजी से हटूण्डी की तरफ जा रहा था जिसको हम लोगो ने रूकवाया है। ग्रामवायो की मदद से टेम्पू में गेहूँ के कट्टे को लोड करवाया गया बाद में टैम्पू को लेकर पुलिस चौकी सराधना पर सुरक्षार्थ खडा कराया गया। जब्त लोडिंग टेम्पू नम्बर आर.जे. 19 जी.बी. 2978 को पुलिस चौकी सराधना के कान्स्टेबल हेमराज को सुपुर्दगी में दिया गया अतः उक्त कृत्य राजस्थान खाघान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 3, 4, 9, 11, 13, 14, 17 तथा 18 का खुला उल्लंघन किया है। अतः जब्त शुदा उक्त सामग्री एवं वाहन आदि को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है,

हमनें उभय पक्ष के कथनों पर ध्यानपुर्वक मनन किया। रेकार्ड पत्रावली का सम्बन्धित प्रकरण सं0 46/2022 अन्तर्गत धारा 6A आवश्यक वस्तु अधिनियम, सरकार बनाम महेन्द्र कुमार गैना के सहित अवलोकन किया गया। दिंनाक 14.09.2022 को ग्राम तबीजी में काफी व्यक्ति इक्कट्टे हो रखे है एक लोडिग टेम्पू जिसके नम्बर आर.जे 19 जी.बी. 2978 को रूकवा रखा है । टैम्पू में गेहूँ के कट्टे भरे हुए है आदि इत्तला पर पुलिस चौकी सराधना से लेकर हटूण्डी रोड तबीजी से आगे पहुँचे तो वहा

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

पर उप सरपंच शोभाग गैना व अन्य ग्रामवासी इक्कट्ठे हो रखे थे व मौके पर एक बंद बॉडी लोडिग टेम्पू जिसके नम्बर आर.जे. 19 जीबी 2978 सडक पर खडा था जिसका मैन सीसा सामने का टूटा हुआ था के टेम्पू के अन्दर करीबन 10–12 गेहूँ के जूट के कट्टे पडे थे व करीब 12–13 कट्टे सडक पर गेहू के पडे थे व ग्रामवासियो से पूछा तो बताया कि उक्त टेम्पू तबीजी से हटूण्डी की तरफ जा रहा था जिसको हम लोगो ने रूकवाया है। ग्रामवासियो की मदद से टेम्पू में गेहूँ के कट्टे को लोड करवाया गया बाद में टैम्पू को लेकर पुलिस चौकी सराधना पर सुरक्षार्थ खडा कराया गया । जब्त लोडिग टेम्पू नम्बर आर.जे. 19 जी.बी. 2978 को पुलिस चौकी सराधना के कान्स्टेबल हेमराज को सुपुर्दगी में दिया गया इस प्रकार आरोपियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकानों पर वितरण किया जाने वाला गेहूँ का अवैध परिवहन विक्रय,क्रय,भण्डारण कर राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन)आदेश 1976 के खण्ड 3(2) का उल्लघंन किया जाना पाये जाने पर ही उक्त 27 गेहूँ के कट्टे एवं वाहन सं0 आर0जे0 19 जीबी 2978 को इसके चालक एवं मालिक श्री आसिफ अली पुत्र इस्माइल के कब्जे से बरामद कर अभिग्रहित कर पुलिस चौकी सराधना के कांन्सटेबल हेमराज की सुपुर्दगी मे दिये गये है। आरोपियों का उपरोक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम –1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। आरोपियो द्वारा किये गये उपरोक्त अवैद्य कृत्य के तहत जब्त शुदा उक्त सामग्री व वाहन को राजसात किये जाने के आदेश हेतु धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरण सं0 46/2022 इस न्यायालय में विचाराधीन है। इस न्यायालय को कब्जे राज ली गई आवश्यक वस्तु (Essential Commidity) तथा उसके दुरूपयोग हेतु वहन किये जाने वाले वाहन के निस्तारण के अधिकार प्राप्त है। चूंकि उक्त वाहन RJ 19-GB 2978 का उपयोग उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी अवैध कृत्य हेतु किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जबकि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अनुसार इस वाहन को सुपुर्दगी नामें पर दिए जाने का निवेदन किया है। जब्त सुदा वाहन को राजसात करने के आदेश से पूर्व आवश्यक वस्तु अधिनियम में दिये गये प्रावधानो के मध्यनजर जब्त सुदा वाहन के बाजार मूल्य तक की समान राशि जमा कराने पर वाहन प्रार्थी को सौंपा जा सकता है। प्रार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना/निवेदन के तहत प्रकरण में जब्त वाहन आर0जे0 19 जीबी 2978 को रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये के जुर्माना किया जाता है, सम्बन्धित वाहन मालिक द्वारा जुर्माना राशि अदा करने पर जब्त किए गये उपरोक्त वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो स्वामित्व बाबत् सन्तुष्टि के सम्बन्धित को सुपर्द कर दिया जावे। बाद पालना, जिला रसद अधिकारी अजमेर को आदेश प्रति प्रेषित हों।

आदेश मेरे द्वार लिखवाया जाकर आज दिंनाक 28.03.2023 को बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर